

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर, को सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल के ग्राम पथरई अंतर्गत बाक्सआईट उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 99.350 हे. राजस्व वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date : 2 -11-2016

Place : Raipur

Signature

Name -  Atul Kumar Shukla
Designation - Secretary,
C.G. Govt.,
Forest Department